

बिहार सरकार  
सामान्य प्रशासन विभाग

प्रेषक,

भीम प्रसाद,  
उप सचिव।

सेवा में,

सभी विभाग,  
सभी विभागाध्यक्ष,  
सभी प्रमण्डलीय आयुक्त,  
सभी जिला पदाधिकारी।

पटना-15, दिनांक-.....6.....फरवरी, 2017

विषय:-

अनुकम्पा नियुक्ति हेतु नोटरी/दण्डाधिकारी के समक्ष शपथित शपथ-पत्र के समर्पण की लागू वर्तमान व्यवस्था के स्थान पर स्व-घोषित/स्व प्रमाणित-पत्र को अनुमान्य करने के संबंध में।

महाशय,

निदेशानुसार उपर्युक्त विषय के संबंध में कहना है कि कार्मिक, लोक शिकायत तथा पेंशन मंत्रालय, भारत सरकार के अर्ध-सरकारी पत्रांक-के0 11022/67/2012 ए0आर0 दिनांक-17.07.2014 तथा मंत्रिमंडल सचिव, भारत सरकार के अ0स0 पत्रांक-502/03/02/ 2014-सी0ए0भ0 दिनांक-30.07.2014 के तहत भारत सरकार द्वारा नोटरी/दण्डाधिकारी के समक्ष शपथित शपथ-पत्र के समर्पण की लागू वर्तमान व्यवस्था के स्थान पर स्व-घोषित/स्व प्रमाणित-पत्र को अनुमान्य करने की व्यवस्था लागू की गई है।

2. भारत सरकार के उपर्युक्त निर्णय के फलस्वरूप राज्य सरकार द्वारा विभिन्न योजनाओं/सेवाओं में, जहाँ वैधिक शपथ-पत्र की आवश्यकता नहीं है, को छोड़कर, अन्य मामलों में नोटरी/दण्डाधिकारी के समक्ष शपथित शपथ-पत्र के समर्पण की लागू वर्तमान व्यवस्था के स्थान पर स्व-घोषित/स्व प्रमाणित-पत्र को अनुमान्य करने की व्यवस्था सुनिश्चित करने का निर्णय लिया गया है।

3. उल्लेखनीय है कि सेवाकाल में मृत सरकारी कर्मियों के आश्रितों में से किसी एक को अनुकम्पा के आधार पर नियुक्ति हेतु अनुकम्पा समितियों की अनुशंसा प्राप्त करने के लिए उसके पक्ष में अन्य आश्रितों का अनापत्ति शपथ-पत्र प्राप्त किया जाता है जो नोटरी/दण्डाधिकारी के समक्ष शपथित शपथ-पत्र होता है। उसी प्रकार आश्रितों के अनियोजन के संबंध में भी उनसे प्रमाण-पत्र प्राप्त किये जाते हैं। उपर्युक्त शपथ-पत्र प्राप्त करने में हो रही कठिनाई को दूर करने के लिए भारत सरकार द्वारा लिए गए निर्णय के अनुरूप राज्य सरकार द्वारा भी आश्रितों में से एक को अनुकम्पा नियुक्ति का लाभ देने हेतु अन्य आश्रितों से उसके पक्ष में स्व-घोषित/स्व प्रमाणित-पत्र प्राप्त करने का निर्णय लिया गया है जो प्रपत्र-1 के रूप में संलग्न है। आश्रितों के संबंध में नियोजन से संबंधित सूचना प्राप्त करने हेतु स्व-घोषित/स्व प्रमाणित-पत्र प्रपत्र-2 के रूप में संलग्न किये जाते हैं। अनुरोध है कि अनुकम्पा नियुक्ति हेतु आश्रितों से तदनुसार स्व-घोषित/स्व प्रमाणित-पत्र प्राप्त किया जाये।

अनुलग्नक:-यथाउपर्युक्त।

विश्वासभाजन

(भीम प्रसाद)

सरकार के उप सचिव

## प्रपत्र-I

अनुकम्पा के आधार पर नियुक्ति हेतु आश्रित आवेदक/आवेदिका के पक्ष में मृत सरकारी कर्मी के अन्य आश्रित द्वारा समर्पित स्व-घोषित/स्व प्रमाणित-पत्र प्रारूप

- (1) स्व-घोषणा/स्व प्रमाणित-पत्र समर्पित करने वाले का नाम तथा मृत सरकारी कर्मी से संबंध:-
- (2) स्थायी तथा पत्राचार का पता:-
- (3) मृत सरकारी कर्मी का नाम:-
- (4) मृत्यु की तिथि:-
- (5) मृत्यु के समय पदस्थापित विभाग/कार्यालय का नाम:-
- (6) आवेदक/आवेदिका का नाम:-
- (7) मैं स्वेच्छा से यह स्व-घोषणा/स्व प्रमाणित करता/करती हूँ कि मैं सेवाकाल में मृत उपर्युक्त सरकारी कर्मी के आश्रितों में से एक हूँ। अनुकम्पा समिति द्वारा यदि आवेदक/आवेदिका श्री/सुश्री/श्रीमती.....की अनुकम्पा के आधार पर नियुक्ति हेतु अनुशंसा की जाती है, तो मुझे कोई आपत्ति नहीं है और न भविष्य में होगी। मुझे विश्वास है कि अनुकम्पा के आधार पर नियुक्ति के उपरान्त उनके द्वारा सभी आश्रितों का भरण-पोषण एवं देखभाल किया जायेगा।

नाम:-

तिथि:-

## प्रपत्र-II

अनुकम्पा के आधार पर नियुक्ति हेतु मृत सरकारी सेवक के आश्रितों द्वारा नियोजन के संबंध में स्व-घोषित/स्व प्रमाणित-पत्र प्रारूप

मैं.....इस स्व-घोषणा/स्व प्रमाणित-पत्र के माध्यम से घोषणा करता/करती हूँ कि मैं सेवाकाल में मृत सरकारी कर्मी स्व० .....के आश्रितों में से एक हूँ। मैं किसी सरकारी सेवा अथवा गैर-सरकारी सेवा में नियमित रूप से नियोजित नहीं हूँ। अतः मेरी आय इतनी नहीं है कि मैं मृत सरकारी कर्मी के सभी आश्रितों का भरण-पोषण कर सकूँ। अन्य आश्रित भी किसी सरकारी/गैर-सरकारी सेवा में नियोजित नहीं हैं। अतः आश्रितों में से किसी एक को अनुकम्पा नियुक्ति का लाभ देने पर विचार किया जा सकता है। यदि मेरे द्वारा दी गई उपर्युक्त सूचना गलत प्रमाणित होती है तो, मुझे नियमानुसार दण्डित किया जा सकता है तथा आवेदक/आवेदिका को अनुकम्पा नियुक्ति के लाभ से वंचित किया जा सकता है।

नाम:-

स्थायी तथा पत्राचार का पता:-

तिथि:-